आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित	क्रमांक व दिनांक पर सरिश्ते आज्ञा के पालनार्थ पेश किया गया
31/1/2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। अपीलान्ट श्रीमती सरस्वती पत्नी नेकीराम पुत्र हलसुख, श्री गुलजारीलाल, मदनसिंह, सुभाषचन्द्र, विनोद पुत्र नेकीराम, बोगा, भतेरी, गुडडी पुत्री नेकीराम पुत्र हलसुख जाति जांगीड साकिन धणाउ तहसील राजगढ जिला चुरू ने पिता नेकीराम पुत्र हलसुख के नाम भूतपूर्व सैनिक के नाते चक 9 एमटीएम के मुरब्बा नम्बर 190/29 में 13–00 बीघा भूमि आवंटन की गयी थी। पिता नेकीराम की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि वारिसों के नाम आवंटन करने हेतु अपील के मार्फत अनुतोष चाहा है। अपीलार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष के संबंध में आवंटन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर ने अपने पत्रांक 1996 दिनांक 26–7–2023 से अवगत करवाया है कि नेकीराम के वारिसों को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10–12–2019 की पालना में दिनांक 4–1–2023 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में भूतपूर्व सैनिक श्री नेकीराम की मृत्यु उपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती सरस्वती जाति खाती निवासी धणाउ तहसील राजगढ जिला चुरू के नाम से आवंटन बहाल कर उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ–1 के चक 9 एमटीएम के मु0नं0 190/29 में रकबा 13–00 बीघा भूमि का आवंटन किया जा चुका हैं। उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में अपीलार्थीगण द्वारा प्रकरण में चाहे गये अनुतोष के क्रम में आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा सरकार की अधिसूचना दिनांक 10–12–2019 के प्रावधानानुसार प्रकरण में भूतपूर्व सैनिक श्री नेकीराम की पत्नी के नाम दिनांक 4–1–2023 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में आवंटन किया जा चुका है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने के आधार पर निरस्त की जाती है। निर्णय आज दिनांक 31–01–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ कार्यालय को प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तामिल व तकमील दाखिल दफ्तर हो। (डॉ. प्रदीप के. गावंडे) आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर	निर्णय प्रति Addl.C.Bkn को जरिये पत्रांक 32/[illegible] से प्रेषित की।